

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-पी-103/81-2-2023-800(131)/2023

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24 मई 2023
विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर
मार्ग (एनओएचओ-91) के किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के
खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के
निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवाणिजीक प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की
अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017)
महोदय

उपरोक्त विषयक अपने पत्राक-2991/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017 दिनांक
20.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। जिराके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के
अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के पृष्ठ-81 पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्वयान
के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराते हुए कतिपय कार्मिकों का स्पष्टीकरण
मांगा गया है, जो निम्नवत है :-

क्र0	नाम	पदनाम
1	श्री मुकेश सिरोही	प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, स्थाना।
2	श्री वीरेन्द्र कुमार	सैकन प्रभारी, सिकन्दाबाद स्थाना रेंज।
3	श्री लोकेश कुमार	वीट प्रभारी, सिकन्दाबाद स्थाना रेंज।

2 - इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क्या उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध
कार्यवाही पूर्ण किये बिना अग्रेतर कार्यवाही किया जाना नियमाकूल है ?
कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या/अभिलेख
शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 24.05.2023, 17:55:45

Reason: Approved

उप सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्राक- 3735/11सी- FP/UP/Others/30840/2017 दिनांक, लखनऊ, मई 26 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार
वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा बिन्दुवार वांछित
सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, थर्ड फ्लोर, संजय पैलेस, आगरा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।